न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष श्री आशीष श्रीवास्तव,

सदस्य

यह निगरानी प्र क्र ३८५२/एक/१४ रा मं में अनु अधि लवकुशनगर, छतरपुर के प्र क्र ९२/अपील/१३-१४ में पारित आदेश दि ७-११-१४ के विरुद्ध संस्थित है.

1 जगना पुत्र स्व0 जलमा अहिरवार आयु 30 साल

२ श्रीमती दुर्जी बेवा स्व0 गुमना अहिरवार आयु 45 साल

३ प्रेमचन्द पुत्र स्व0 श्री गुमना अहिरवार आयु 25 साल

४ लखन पुत्र स्व0 श्री गुमना अहिरवार आयु 22 साल

५ रामऔतार पुत्र स्व0 गुमना अहिरवार आयु 19 साल

समस्त निवासी ग्राम हरद्वार लवकुश नगर जिला छतरपुर म0प्र0

आवेदकगण------

बनाम

१ मुस0 पिरैया बेवा स्व0 श्री गुमना रतना अहिरवार आयु 45 साल

समस्त निवासी ग्राम हरद्वार लवकुश नगर जिला छतरपुर म0प्र0

अनावेदक--------

श्री सुभाष सक्सैना, आवेदक अधिवक्ता,

श्री ब्रजेन्द्र सिंह,अनावेदक अधिवक्ता,

(आदेश दिनांक 5/04/16 को पारित)

[१] यह निगरानी प्र क्र ३८५२/एक/१४ रा मं में अनु अधि लवकुशनगर, छतरपुर के प्र क्र ९२/अपील/१३-१४ में पारित आदेश दि ७-११-१४ के विरुद्ध संस्थित है.

[२] प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है.

गैरनिगराकार पिरैया ने अनु अधि के समक्ष ग्राम पंचायत हरद्वार के सरपंच और सचिव द्वारा नामांतरण पंजी पर निगरकार के हित में वाद भूमि पर पारित नामान्तरण आदेश दि ३०-९-९७, तहसीलदार लौंडी के प्र क्र २८/अ६अ/०५-०६ के आदेश दि ३०-९-०६ और तहसीलदार लौंडी के प्र क्र ७२/अ६अ/१०-११ के आदेश दि २६-८-१० के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की.

अनु अधि ने आक्षेपित आदेश दि ७-११-१४ से गैर-निगराकार का आवश्यक पक्षकार होना मान्य किया है और अपील के प्रस्तुतिकरण में हुए विलम्ब को माफ़ किया है. इसके विरुद्ध रा मं में यह निगरानी दायर हुई है.

[३] उभयपक्ष की और से लिखित तर्क इस न्यायालय के समक्ष दिए गए.

निगरकारपक्ष का तर्क है कि गैरनिगरकार का वाद भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है, उसने अपील अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत की है, और तीन आदेशों के विरुद्ध एक ही अपील प्रस्तुत करना गलत है.

गैरनिगरकार पक्ष का तर्क है कि वाद भूमि उसी की है जिसपर निगराकारपक्ष ने बगैर उसे कोई सूचना दिए नामांतरण करा लिया. उसे इसकी सूचना जब वर्ष २०१४ में मिली तो उसने अनु अधि के समक्ष अपील की. एक ही विषय से सम्बन्धित एक से अधिक आदेश के विरुद्ध एक ही अपील पेश करने में कोई विधिक बाधा नहीं है और इस सम्बन्ध अनु अधि ने अपने आक्षेपित आदेश में सम्बन्धित न्यायदृष्टान्त का लेख भी किया है.

[४] तर्कों और अभिलेखों के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि अनु अधि ने आक्षेपित आदेश से केवल गैरनिगरकार को प्रथमदृष्टया हितबद्ध व्यक्ति मानते हुए पक्षकार बनकर अपील करने की अनुमति दी है, और कारण लिखते हुए विलम्ब माफ़ किया है.

स्पष्टतः अनु अधि के इस निर्णय से किसी भी पक्षकार के वैधानिक हित अंतिम रूप से अनुचित तौर पर प्रभावित हो गए हों ऐसा नहीं माना जा सकता.इसे भी अभी उभयपक्ष को अनु अधि के समक्ष अपना अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर उपलब्ध है. अनु अधि के समक्ष प्रकट हुए बिन्दुओं के प्रकाश में गुण दोष पर विचार किया जाना न्यायोचित मानते हुए विलम्ब माफ़ किया जाने का अनु अधि का निर्णय भी सही ही है.

अतः, मैं अनु अधि के आक्षेपित आदेश दि ७-११-१४ में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझता, और उसे यथावत रखते हुए यह निगरानी अस्वीकार करता हूँ.

आदेश पारित. पक्षकार सूचित हों. प्रकरण समाप्त. दा द हो.

आशीष श्रीवास्तव
सदस्य